A.पी.-2604-PBR/15

श्री नरेन्द्र कुमार जोशी अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 28-7-15 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत। 28.7.15

समक्ष श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर कैम्प भोपाल

निगरानी प्रकरण क्रमांक– /पी.बी.आर./2015

1–श्री तुलेश कुमार जोशी आयु 38 वर्ष
आ. स्व. श्री यादवलाल जोशी
निवासी–हालमुकाम गंगानगर यादव डेरी
के सामने देवास जिला देवास म.प्र.
2–राजामणि बेवा यादवलाल जोशी
आयु वयस्क एवं निवासी–हालमुकाम गंगानगर
यादव डेरी के सामने देवास जिला देवास म.प्र.
3–श्री हेमन्त जोशी आ. श्री नरेश कुमार जोशी
आयु लगभग 42 वर्ष निवासी–म.नं.–सी एच डी 639
न्याय नगर सुकलिया इन्दौर
4–श्री नरेश कुमार जोशी आ. स्व. श्री भवंरलाल जोशी
आयु 72 वर्ष निवासी– ग्राम बैजनाथ
तहसील आष्टा जिला सीहोर म.प्र.
5–श्री कमल किशोर आ. श्री लोकेन्द्र जोशी
आयु लगभग 37 वर्ष निवासी– ग्राम बैजनाथ
तहसील आष्टा जिला सीहोर म.प्र.
6–श्री राकेश जोशी आ. श्री लीलाधर उर्फ श्री लोकेन्द्र जोशी
आयु लगभग 39 वर्ष निवासी–एफ–26/1
लवकुश आवास विहार सुकलिया इन्दौर
7–श्री लोकेन्द्र कुमार जोशी आ. स्व. श्री भवंरलाल जोशी
आयु 63 वर्ष निवासी– ग्राम बैजनाथ
तहसील आष्टा जिला सीहोर म.प्र. ————आवेदक

विरूद्ध

1–श्री रमेश चंद जोशी शिक्षक
आ. स्व. श्री घासीराम जोशी आयु 56 वर्ष
कृषक–ग्राम बैजनाथ हालमुकाम हायरसेकेण्डरी
स्कूल के पास जावर तहसील जावर जिला सीहोर म.प्र.
2–म.प्र. शासन ——————अनावेदक

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 म.प्र.भरा.सं. 1959

अ.प्र.55.56

पुनरीक्षण विरूद्ध सीमांकन प्रकरण न्यायालय राजस्व निरीक्षक आष्टा तहसील आष्टा जिला सीहोर के न्यायालय का सीमांकन मामला क्रं–41/अ–12/14–15 आदेश दिनांक 04.06.2015।

कमल जोशी

आवेदकगणों की ओर से निम्न निवेदन है :–

विशेष आपत्तियां

यह कि सीमांकन प्रकरण क्रं–41/अ–12/14–15 आदेश दिनांक 04.06.2015 की नकल दिनांक 22.06.2015 को प्राप्त हुई। उसके आधार पर विशेष आपत्तिया निम्न प्रकार से है:–

1– सूचना पत्र पर – यह कि विवादित भूमि ख.न.–162/1 क्षेत्रफल 1.19 एकड़ (0.482 हे.)भूमि जो टुकड़ी बड़ोदिय की बाट वाली के नाम से जानी जाती है। वह मौके पर तीन तरफ से अर्थात तीन दिशाओं पूर्व,

निरन्तर...2

XXXIX(a)-BR(H)-11

आवेदक अभि. श्री नरेन्द्र कुमार जोशी।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-2604/PBR/15 जिला सीहोर (1)

स्थान तथा दिनांक	तुलेश्वर कार्यवाही तथा आदेश प्रेम	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3.9.15	आवेदक अभि० श्री नरेन्द्र कुमार जोशी उपस्थित। प्रकरण में ग्राह्यता सहित संहिता की धारा 52 स्थगन आवेदन पर सुना गया। प्रकरण मुख्य वाद बिन्दु सीमांकन से संबंधित है। आवेदक अभि. द्वारा अपने तर्क में बताया गया कि यह निगरानी प्रकरण राजस्व निरीक्षक आष्टा तहसील आष्टा के प्रकरण क्रमांक 41/अ-12/2014-2015 में पारित आदेश दिनांक-4.6.15 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। आवेदक अभि० द्वारा बताया गया कि अनावेदक द्वारा सर्वे क्रमांक 162/1 रकबा 1.19 एकड़ (0.482 हे.) भूमि के सीमांकन का आवेदन पत्र दिनांक-12-5-2015 को राजस्व निरीक्षक आष्टा जिला सीहोर को प्रस्तुत किया गया। उक्त सीमांकन हेतु आवेदित सर्वे क्रमांक 162/1 तीन दिशाओं पूर्व, पश्चिम व दक्षिण में आवेदक क्रमांक-1 से 7 की भूमियों से घिरा हुआ है साथ ही आवेदित सर्वे क्रमांक मौके पर खसरा नं० 141, 143/2 एवं 162/2 में सम्मिलित है इनके मध्य कोई मेड एवं सीमा चिन्ह आदि नहीं है। इसी से लगे हुए आवेदक गणों की भूमि सर्वे क्रमांक 141, 143/2, 162/2, 162/3, 163, 164, 165, 166, 167, 168 होकर तीन तरफ से आवेदक गण पड़ोसी काश्तकार है, जो आवश्यक पक्षकार है। सीमांकन	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

प्रकरण मे आवेदकगणा आवश्यक पक्षकारों को कोई सूचना पत्र न तो जारी किया गया और न ही सूचना अन्य किसी माध्यम से दी गई और न ही सूचना पत्र तामील ही कराये गये। जबकि वे आवश्यक एवं हितबद्ध पड़ोसी कृषक थे जिन्हे सूचना दी जाना आवश्यक था। उक्त संबंध मे आवेदक अभिभाषक द्वारा न्याय दृष्टांत -(स्वरूपा बाई वि० दशरथ सिंह 1988 रा०नि०) मे प्रतिपादित म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-129-सीमांकन लगी हुई भूमि के भूमिस्वामी को सूचना किये बिना नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत किया। द्वितीय न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिपादित किया है कि- ऐसा सीमांकन स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसमे दूसरा पक्षकार सूचित भी नहीं किया गया है [गजराज सिंह वि० रामसिंह तथा अन्य- 2006 रा०नि० 218] । इसके अतिरिक्त यह भी बताया कि सूचना पत्र पर तामील किसके द्वारा कराया गया इसका उल्लेख नहीं है। उक्त तर्कों के अतिरिक्त वही तर्क प्रस्तुत किये जो निगरानी मेमो मे अंकित किये गये है जिन्हे यहां पुनः अंकित करने की आवश्यकता नही है किन्तु उन पर विचार किया जावेगा। प्रकरण को ग्राह्य करने एवं रेकार्ड प्राप्त करने का निवेदन किया गया।

आवेदक अभि० द्वारा प्रस्तुत तर्कों के क्रम मे तथा निगरानी मेमो मे अंकित बिन्दुओ के क्रम मे मेमो के संलग्न सीमांकन कार्यवाही की प्रमाणित प्रतियां का अवलोकन किया गया संलग्न सीमांकन कार्यवाही के अभिलेख अवलोकन से आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-2604/PBR/15 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	किसानी मेमो मे अंकित तथ्यों की पुष्टि हो रही है। पटवारी को सीमांकन किये जाने हेतु कोई आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा दिया जाना अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। पटवारी द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन पर कोई दिनांक अंकित नही। इसी प्रकार स्थल सीमांकन पंचनामा पर आवेदकों के हस्ताक्षर नही है साथ ही पंचनामा पर दिनांक भी अंकित नही। फील्ड बुक पर स्थाई सीमा चिन्ह भी नही दर्शाया गया है।	
	उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो रहा है कि सीमांकन की जो कार्यवाही की गई है उसमें संहिता की धारा 129 मे निहित प्रावधानो का उल्लंघन स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है साथ ही अनेक अभि० द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांतो मे प्रतिपादित न्याय निर्णयों का भी उल्लंघन दृष्टिगोचर हो रहा है	
	अतः संहिता मे निहित प्रावधानो के अनुरूप सीमांकन कार्यवाही न होने से अधीनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक आष्टा द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का पालन नही किया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों में राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही आदेश दिनांक-4-6-2015 स्थिर रखे जाने योग्य न होने से निरस्त किया जाता है तथा राजस्व निरीक्षक को निर्देशित किया जाता है सीमांकन आवेदन के संबंध मे	

सीहोर

R. 2604/PBR/15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	संहिता मे निहित प्रावधानो के क्रम मे पटवार अभिलेख एवं ~~[illegible]~~ दर्शित आवेदित सर्वे नम्बर के सीमांत कृषको को विधिवत सूचना पत्र देकर सीमांत कृषको की उपस्थिति मे एवं समस्त आवेदको की उपस्थिति मे आवेदक एवं अनावेदको के चाहने पर सीमांकन की कार्यवाही करे। सीमांकन कार्यवाही मे न्यायिक सिद्धान्तो का भी पालन किया जावे। उक्त निर्देशो के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हो।	
	सदस्य	

शाक्षेमुग्वा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.